न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 174/2025 बउनवानी बबलूराम बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री बाबूलाल मीना , आयुर्वेद डॉक्टर आदर्श नगर कॉलेज रोड गंगापुर सिटी
GCMS No-2025/344

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
10.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **ख0न0 5648,6449,5669,5670, उदेई कलां की भूमि 90 ए है या नही उक्त खाता धारक का नाम, उक्त खसरों की वर्तमतान स्थिति,उक्त भूमि पर कितने पटटे जारी किये गये, कितने पटटे पंजीकृत किये है पटटाधारी का नाम, उक्त भूमि कृषि योग्य है अथवा आवासीय है, कितने भूखण्डों पर बाउण्ड्रीवाल व भवन निर्माण किया जा चुका है इत्यादि के संबंध मे प्रमाणित प्रति।**" तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक सूकाअ/2025/419 दिनांक 28.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। उक्त सूचना से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु कार्यालय समय पर कार्यालय मे उपस्थित होने बाबत अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	